Mahendra Kumar Sharma

(Advocate)

लोन रिकॉल विधिक नोटिस

51-52, Vijay Nagar, Kartarpura Phatak, Jaipur Rajasthan -302006

दिनाक :- 26/04/2023

Ref. No.: 5316644/LRN/2022

1. Bhadur SINGH C/O JAGMAL SINGH BORROWER DARABARPUR, TAHSIL, MUNDAWAR, SIHALI KALUKA ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401

SR.NO CUSTOMER TYPE CUSTOMER NAME

1. (Borrower):- Bhadur SINGH C/O JAGMAL SINGH DARABARPUR, TAHSIL, MUNDAWAR, SIHALI

KALUKA ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401

2. (Co-Borrower 01):- GEETA DEVI C/O MOHANLAL DARABARPUR, TEH, MUNDAWAR ALWAR 019 ON

ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401

(Co-Borrower 02):- NIL

(Co-Borrower 03):- NIL

3. (GTR 01):- DHEERENDRA GUPTA C/O POORANMAL WARD, NO. 14,BANIYON KA MOHLLA,

SHAHJAHANPUR, ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301706

(GTR 02):- NIL

(GTR 03):- NIL

महोदय / महोदया

मेरी अभिभाष्या एसके फाईनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी–1 एवं 2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर, राजस्थान की ओर से आज दिनांक से पूर्व में दिया गया लोन रिकॉल नोटिस निरस्त करते हुए आपको उक्त विधिक नोटिस निम्न प्रकार प्रेषित है :--

- 1. यह कि मेरी अभिभाष्या कम्पनी एक गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है।
- 2. यह कि आपने मेरी अभिभाष्या कम्पनी से दिनांक 8/05/2018 को ऋण अनुबन्ध खाता सख्यां 5316644 निष्पादित कर वाहन TRAX TOOFAN_FORCE_COMM_VEH रिजस्ट्रेशन नम्बर -RJ02TA3021 इंजन नम्बर D69008671 एवं चेसिस नम्बर MC1D4DCAXJP080087 पर 690000/- रूपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी, जिसकी फाईनेंस राशि की अदायगी आपको अनुबन्धोनुसार नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि जब तक उपरोक्त वाहन पर ली गयी ऋण राशि की सम्पूर्ण अदायगी नहीं हो जाती है तब तक उक्त वाहन मेरी अभिभाष्या कम्पनी के पास हाइपोधीकेट एवं प्रथम चार्ज रहेगा तथा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन की मांग किये जाने पर आप द्वारा निरीक्षण करवाया जायेगा। उपरोक्त ऋण अनुबधं में आप कम सख्यां 01 ऋणी, आप कम सख्यां 02 सहऋणी तथा आप कम सख्यां 03 गारन्टर है जोकि ऋण अनुबधं के पेटे सम्पूर्ण राशि की अदायगी के लिए सयुक्त एवं पृथक— पृथक रूप से उत्तरदायी है।
- 3. यह कि आपके अनुरोध पर, आर बी.आई के निर्दाशनुसार, मेरी अभिभाष्या कम्पनी के द्वारा आपकों 5 महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 25128/- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तिय सुविधा 715128 रूपयें की हो गई है। तत्पश्चात आपके आवेदन पर मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा आपके उक्त ऋण अनुबन्ध संख्या 5316644 पर पुनर्गठन कि सुविधा भी दिनाकं 03-Jul-21 को दी गयी थी एवं आपकी वितिय सुविधा पुनर्गठन के उपरान्त 790568/- रूपयें की हो गयी है।
- 4. यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार एवं ऋण पुनर्गठन के पश्चात् आपको फाईनेंस राशि की अदायगी रूपये 18860/- कि 59 नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी एवं जब तक सम्पूर्ण अदायगी नहीं हो जाती उक्त वाहन को आपको अपने आधिपत्य में रखना था एवं मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाना था। निष्पादित अनुबन्ध में यह तय पाया गया था कि आप द्वारा तयशुदा समय पर किश्त की अदायगी में चूक कारित करने पर या अनुबन्ध की किसी भी शर्त को भंग करने पर मेरी अभिभाष्या कम्पनी को ऋण सुविधा को रिकॉल करने एवं वित्तीय सुविधा पर दिए गए प्रश्नगत वाहन को अपने आधिपत्य में लेने एवं बेचान करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 5. यह कि मेरी अभिभाष्या कम्पनी आपको स्वित करते हुए खेद व्यक्त करती है कि ऋण अनुबंध की नियम व शर्तो से अवगत होते हुए भी आपके द्वारा ऋण राशि की अदायगी में चूक कारित कर ऋण अनुबंध की शर्तो को भंग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निरन्तर अनुरोध पर भी आप हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने में विफल रहे हैं। मेरी अभिभाष्या कम्पनी के कर्मचारी द्वारा आपके घर एवं ऑफिस के पते पर जाकर बार बार ऋण की बकाया राशि की मांग करने व उरोक्त वर्णित हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने हेतु निवेदन के बावजूद भी ना तो आपने बकाया राशि की अदायगी की और ना ही वाहन का भौतिक निरीक्षण करवाया है। आपका प्रश्नगत वाहन पर कब्जा बनाये रखने का अधिकार भी समाप्त हो गया है परन्तु आप द्वारा प्रश्नगत वाहन का कब्जा भी मेरी अभिभाष्या कम्पनी को सुपुर्द नही किया है। आपके कपटपूर्ण धोखेबाजी वाली दुर्भावना के कारण आप स्वयं के नियत उत्तरदायित्व को नही निभा पा रहे हो जिसके कारण मेरी अभिभाष्या कम्पनी को अपने व्यापार में अपार क्षति उठानी पड़ रही है।
- 6. यह कि आप द्वारा निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तो में लगातार चूक कारित किये जानें के कारण ऋण अनुबंध की शर्तो के तहत आपके द्वारा डिफाल्ट कारित किया गया है। अतः मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा आपकी ऋण सुविधा को रिकॉल किया जाता है। आपके जिम्मे मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार आज दिनांक तक कुल फोरक्लोजर राशि 353667/- रूपये बकाया है, जिसे मेरी अभिभाष्या कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है। कृपया सूचित रहें कि उपरोक्त अनुरोध की विफलता की स्थिति में, यह माना जाएगा कि ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत विवाद उत्पन्न हो गया है और उक्त विवाद को ऋण समझौते के अनुसार पंच महोदय को मध्यस्थता के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा।

लिहाजा आपको उक्त विधिक नोटिस प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप उक्त विधिक नोटिस की दिनांक से 7 दिवस में मेरी अभिभाष्या कम्पनी के नजदीकी शाखा कार्यालय पर अपने जिम्में बकाया सम्पूर्ण फोरक्लोजर राशि तुरन्त प्रभाव से अदा कर रसीद प्राप्त कर ले अन्यथा मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन को ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार आधिपत्य में लेने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी एवं प्रश्नगत वाहन को आधिपत्य में लिये जानें के पश्चात मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अधिकतम कोटेशन राशि पर विक्रय कर बेचान राशि आपके ऋण खातें में समायोजित कर दी जावेगी व यदि कोई शेष बकाया रहा तो वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि वाहन के दस्तावेज आर.सी., परिमट इत्यादि सुपुर्द कर दें तािक अधिकतम राशि पर वाहन विक्रय हो सके नहीं तो डुप्लीकेट पेपर की आरटीओ में कार्यवाही भी आपके खर्च पर की जावेगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि बाद गुजरने मियाद नोटिस मेरी अभिभाष्या कम्पनी को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत एवं प्रचलित विधि के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके उत्पन्न होने वाले समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें। अतः आप सूचित रहें।

THES STATISTIC

महेन्द्र कुमार शर्मा (एडवोकेट)

Mahendra Kumar Sharma

(Advocate)

लोन रिकॉल विधिक नोटिस

51-52, Vijay Nagar, Kartarpura Phatak, Jaipur Rajasthan -302006

दिनाक - 26/04/2023

7

* R M 7 5 4 0 4 1 0 0 2 1 N *

1. GEETA DEVI C/O MOHANLAL
CO-BORROWER

DARABARPUR, TEH, MUNDAWAR ALWAR 019 ON ROAD
Alwar Alwar Rajasthan 301401

SR.NO CUSTOMER TYPE CUSTOMER NAME

Ref. No.: 5316644/LRN/2022

1. (Borrower):- Bhadur SINGH C/O JAGMAL SINGH DARABARPUR, TAHSIL, MUNDAWAR, SIHALI

KALUKA ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401

2. (Co-Borrower 01):- GEETA DEVI C/O MOHANLAL DARABARPUR, TEH, MUNDAWAR ALWAR 019 ON

ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401

(Co-Borrower 02):- NIL

(Co-Borrower 03):- NIL

3. (GTR 01):- DHEERENDRA GUPTA C/O POORANMAL WARD, NO. 14,BANIYON KA MOHLLA,

SHAHJAHANPUR, ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301706

(GTR 02):- NIL

(GTR 03):- NIL

महोदय / महोदया

मेरी अभिभाष्या एसके फाईनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी–1 एवं 2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर, राजस्थान की ओर से आज दिनांक से पूर्व में दिया गया लोन रिकॉल नोटिस निरस्त करते हुए आपको उक्त विधिक नोटिस निम्न प्रकार प्रेषित है :--

- 1. यह कि मेरी अभिभाष्या कम्पनी एक गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है।
- 2. यह कि आपने मेरी अभिभाष्या कम्पनी से दिनांक 8/05/2018 को ऋण अनुबन्ध खाता सख्यां 5316644 निष्पादित कर वाहन TRAX TOOFAN_FORCE_COMM_VEH रिजस्ट्रेशन नम्बर -RJ02TA3021 इंजन नम्बर D69008671 एवं चेसिस नम्बर MC1D4DCAXJP080087 पर 690000/- रूपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी, जिसकी फाईनेंस राशि की अदायगी आपको अनुबन्धोनुसार नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि जब तक उपरोक्त वाहन पर ली गयी ऋण राशि की सम्पूर्ण अदायगी नहीं हो जाती है तब तक उक्त वाहन मेरी अभिभाष्या कम्पनी के पास हाइपोधीकेट एवं प्रथम चार्ज रहेगा तथा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन की मांग किये जाने पर आप द्वारा निरीक्षण करवाया जायेगा। उपरोक्त ऋण अनुबधं में आप कम सख्यां 01 ऋणी, आप कम सख्यां 02 सहऋणी तथा आप कम सख्यां 03 गारन्टर है जोकि ऋण अनुबधं के पेटे सम्पूर्ण राशि की अदायगी के लिए सयुक्त एवं पृथक— पृथक रूप से उत्तरदायी है।
- 3. यह कि आपके अनुरोध पर, आर.बी.आई के निर्देशनुसार, मेरी अभिभाष्या कम्पनी के द्वारा आपकों 5 महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 25128/- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तिय सुविधा 715128 रूपयें की हो गई है। तत्पश्चात आपके आवेदन पर मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा आपके उक्त ऋण अनुबन्ध संख्या 5316644 पर पुनर्गंडन कि सुविधा भी दिनाकं 03-Jul-21 को दी गयी थी एवं आपकी वितिय सुविधा पुनर्गंडन के उपरान्त 790568/- रूपयें की हो गयी है।
- 4. यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार एवं ऋण पुनर्गठन के पश्चात् आपको फाईनेंस राशि की अदायगी रूपये 18860/- कि 59 नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी एवं जब तक सम्पूर्ण अदायगी नहीं हो जाती उक्त वाहन को आपको अपने आधिपत्य में रखना था एवं मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाना था। निष्पादित अनुबन्ध में यह तय पाया गया था कि आप द्वारा तयशुदा समय पर किश्त की अदायगी में चूक कारित करने पर या अनुबन्ध की किसी भी शर्त को भंग करने पर मेरी अभिभाष्या कम्पनी को ऋण सुविधा को रिकॉल करने एवं वित्तीय सुविधा पर दिए गए प्रश्नगत वाहन को अपने आधिपत्य में लेने एवं बेचान करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 5. यह कि मेरी अभिभाष्या कम्पनी आपको स्वित करते हुए खेद व्यक्त करती है कि ऋण अनुबंध की नियम व शर्तो से अवगत होते हुए भी आपके द्वारा ऋण राशि की अदायगी में चूक कारित कर ऋण अनुबंध की शर्तो को भंग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निरन्तर अनुरोध पर भी आप हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने में विफल रहे हैं। मेरी अभिभाष्या कम्पनी के कर्मचारी द्वारा आपके घर एवं ऑफिस के पते पर जाकर बार बार ऋण की बकाया राशि की मांग करने व उरोक्त वर्णित हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने हेतु निवेदन के बावजूद भी ना तो आपने बकाया राशि की अदायगी की और ना ही वाहन का भौतिक निरीक्षण करवाया है। आपका प्रश्नगत वाहन पर कब्जा बनाये रखने का अधिकार भी समाप्त हो गया है परन्तु आप द्वारा प्रश्नगत वाहन का कब्जा भी मेरी अभिभाष्या कम्पनी को सुपुर्द नही किया है। आपके कपटपूर्ण धोखेबाजी वाली दुर्भावना के कारण आप स्वयं के नियत उत्तरदायित्व को नही निभा पा रहे हो जिसके कारण मेरी अभिभाष्या कम्पनी को अपने व्यापार में अपार क्षति उठानी पड़ रही है।
- 6. यह कि आप द्वारा निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तो में लगातार चूक कारित किये जानें के कारण ऋण अनुबंध की शर्तो के तहत आपके द्वारा डिफाल्ट कारित किया गया है। अतः मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा आपकी ऋण सुविधा को रिकॉल किया जाता है। आपके जिम्मे मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार आज दिनांक तक कुल फोरक्लोजर राशि 353667/- रूपये बकाया है, जिसे मेरी अभिभाष्या कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है। कृपया सूचित रहें कि उपरोक्त अनुरोध की विफलता की स्थिति में, यह माना जाएगा कि ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत विवाद उत्पन्न हो गया है और उक्त विवाद को ऋण समझौते के अनुसार पंच महोदय को मध्यस्थता के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा।

लिहाजा आपको उक्त विधिक नोटिस प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप उक्त विधिक नोटिस की दिनांक से 7 दिवस में मेरी अभिभाष्या कम्पनी के नजदीकी शाखा कार्यालय पर अपने जिम्में बकाया सम्पूर्ण फोरक्लोजर राशि तुरन्त प्रभाव से अदा कर रसीद प्राप्त कर ले अन्यथा मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन को ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार आधिपत्य में लेने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी एवं प्रश्नगत वाहन को आधिपत्य में लिये जानें के पश्चात मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अधिकतम कोटेशन राशि पर विक्रय कर बेचान राशि आपके ऋण खातें में समायोजित कर दी जावेगी व यदि कोई शेष बकाया रहा तो वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि वाहन के दस्तावेज आर.सी., परिमट इत्यादि सुपुर्द कर दें तािक अधिकतम राशि पर वाहन विक्रय हो सके नहीं तो डुप्लीकेट पेपर की आरटीओ में कार्यवाही भी आपके खर्च पर की जावेगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि बाद गुजरने मियाद नोटिस मेरी अभिभाष्या कम्पनी को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत एवं प्रचलित विधि के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके उत्पन्न होने वाले समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें। अतः आप सूचित रहें।

THES STATISTIC

महेन्द्र कुमार शर्मा (एडवोकेट)

Mahendra Kumar Sharma

(Advocate)

लोन रिकॉल विधिक नोटिस

51-52, Vijay Nagar, Kartarpura Phatak, Jaipur Rajasthan -302006

दिनाक = 26/04/2023

Ref. No. : 5316644/LRN/2022

1. DHEERENDRA GUPTA C/O POORANMAL

GTR

WARD, NO. 14,BANIYON KA MOHLLA, SHAHJAHANPUR, ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301706

SR.NO CUSTOMER TYPE CUSTOMER NAME

1. (Borrower):- Bhadur SINGH C/O JAGMAL SINGH DARABARPUR, TAHSIL, MUNDAWAR, SIHALI

KALUKA ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401

2. (Co-Borrower 01):- GEETA DEVI C/O MOHANLAL DARABARPUR, TEH, MUNDAWAR ALWAR 019 ON

ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301401

(Co-Borrower 02):- NIL

(Co-Borrower 03):- NIL

3. (GTR 01):- DHEERENDRA GUPTA C/O POORANMAL WARD, NO. 14,BANIYON KA MOHLLA,

SHAHJAHANPUR, ALWAR 019 ON ROAD Alwar Alwar Rajasthan 301706

(GTR 02):- NIL

(GTR 03):- NIL

महोदय / महोदया

मेरी अभिभाष्या एसके फाईनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी–1 एवं 2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल, जयपुर, राजस्थान की ओर से आज दिनांक से पूर्व में दिया गया लोन रिकॉल नोटिस निरस्त करते हुए आपको उक्त विधिक नोटिस निम्न प्रकार प्रेषित है :--

- 1. यह कि मेरी अभिभाष्या कम्पनी एक गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है।
- 2. यह कि आपने मेरी अभिभाष्या कम्पनी से दिनांक 8/05/2018 को ऋण अनुबन्ध खाता सख्यां 5316644 निष्पादित कर वाहन TRAX TOOFAN_FORCE_COMM_VEH रिजस्ट्रेशन नम्बर -RJ02TA3021 इंजन नम्बर D69008671 एवं चेसिस नम्बर MC1D4DCAXJP080087 पर 690000/- रूपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी, जिसकी फाईनेंस राशि की अदायगी आपको अनुबन्धोनुसार नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि जब तक उपरोक्त वाहन पर ली गयी ऋण राशि की सम्पूर्ण अदायगी नहीं हो जाती है तब तक उक्त वाहन मेरी अभिभाष्या कम्पनी के पास हाइपोधीकेट एवं प्रथम चार्ज रहेगा तथा कम्पनी द्वारा उक्त वाहन की मांग किये जाने पर आप द्वारा निरीक्षण करवाया जायेगा। उपरोक्त ऋण अनुबधं में आप कम सख्यां 01 ऋणी, आप कम सख्यां 02 सहऋणी तथा आप कम सख्यां 03 गारन्टर है जोकि ऋण अनुबधं के पेटे सम्पूर्ण राशि की अदायगी के लिए सयुक्त एवं पृथक— पृथक रूप से उत्तरदायी है।
- 3. यह कि आपके अनुरोध पर, आर.बी.आई के निर्देशनुसार, मेरी अभिभाष्या कम्पनी के द्वारा आपकों 5 महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 25128/- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर कुल वित्तिय सुविधा 715128 रूपयें की हो गई है। तत्पश्चात आपके आवेदन पर मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा आपके उक्त ऋण अनुबन्ध संख्या 5316644 पर पुनर्गठन कि सुविधा भी दिनाकं 03-Jul-21 को दी गयी थी एवं आपकी वितिय सुविधा पुनर्गठन के उपरान्त 790568/- रूपयें की हो गयी है।
- 4. यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार एवं ऋण पुनर्गठन के पश्चात् आपको फाईनेंस राशि की अदायगी रूपये 18860/- कि 59 नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तों में करनी थी एवं जब तक सम्पूर्ण अदायगी नहीं हो जाती उक्त वाहन को आपको अपने आधिपत्य में रखना था एवं मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाना था। निष्पादित अनुबन्ध में यह तय पाया गया था कि आप द्वारा तयशुदा समय पर किश्त की अदायगी में चूक कारित करने पर या अनुबन्ध की किसी भी शर्त को भंग करने पर मेरी अभिभाष्या कम्पनी को ऋण सुविधा को रिकॉल करने एवं वित्तीय सुविधा पर दिए गए प्रश्नगत वाहन को अपने आधिपत्य में लेने एवं बेचान करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 5. यह कि मेरी अभिभाष्या कम्पनी आपको स्वित करते हुए खेद व्यक्त करती है कि ऋण अनुबंध की नियम व शर्तो से अवगत होते हुए भी आपके द्वारा ऋण राशि की अदायगी में चूक कारित कर ऋण अनुबंध की शर्तो को भंग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निरन्तर अनुरोध पर भी आप हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने में विफल रहे हैं। मेरी अभिभाष्या कम्पनी के कर्मचारी द्वारा आपके घर एवं ऑफिस के पते पर जाकर बार बार ऋण की बकाया राशि की मांग करने व उरोक्त वर्णित हाइपोथीकेट वाहन का भौतिक निरीक्षण कराने हेतु निवेदन के बावजूद भी ना तो आपने बकाया राशि की अदायगी की और ना ही वाहन का भौतिक निरीक्षण करवाया है। आपका प्रश्नगत वाहन पर कब्जा बनाये रखने का अधिकार भी समाप्त हो गया है परन्तु आप द्वारा प्रश्नगत वाहन का कब्जा भी मेरी अभिभाष्या कम्पनी को सुपुर्द नही किया है। आपके कपटपूर्ण धोखेबाजी वाली दुर्भावना के कारण आप स्वयं के नियत उत्तरदायित्व को नही निभा पा रहे हो जिसके कारण मेरी अभिभाष्या कम्पनी को अपने व्यापार में अपार क्षति उठानी पड़ रही है।
- 6. यह कि आप द्वारा निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तो में लगातार चूक कारित किये जानें के कारण ऋण अनुबंध की शर्तो के तहत आपके द्वारा डिफाल्ट कारित किया गया है। अतः मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा आपकी ऋण सुविधा को रिकॉल किया जाता है। आपके जिम्मे मेरी अभिभाष्या कम्पनी के निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार आज दिनांक तक कुल फोरक्लोजर राशि 353667/- रूपये बकाया है, जिसे मेरी अभिभाष्या कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है। कृपया सूचित रहें कि उपरोक्त अनुरोध की विफलता की स्थिति में, यह माना जाएगा कि ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत विवाद उत्पन्न हो गया है और उक्त विवाद को ऋण समझौते के अनुसार पंच महोदय को मध्यस्थता के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा।

लिहाजा आपको उक्त विधिक नोटिस प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप उक्त विधिक नोटिस की दिनांक से 7 दिवस में मेरी अभिभाष्या कम्पनी के नजदीकी शाखा कार्यालय पर अपने जिम्में बकाया सम्पूर्ण फोरक्लोजर राशि तुरन्त प्रभाव से अदा कर रसीद प्राप्त कर ले अन्यथा मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन को ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार आधिपत्य में लेने की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी एवं प्रश्नगत वाहन को आधिपत्य में लिये जानें के पश्चात मेरी अभिभाष्या कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अधिकतम कोटेशन राशि पर विक्रय कर बेचान राशि आपके ऋण खातें में समायोजित कर दी जावेगी व यदि कोई शेष बकाया रहा तो वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि वाहन के दस्तावेज आर.सी., परिमट इत्यादि सुपुर्द कर दें तािक अधिकतम राशि पर वाहन विक्रय हो सके नहीं तो डुप्लीकेट पेपर की आरटीओ में कार्यवाही भी आपके खर्च पर की जावेगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि बाद गुजरने मियाद नोटिस मेरी अभिभाष्या कम्पनी को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत एवं प्रचलित विधि के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके उत्पन्न होने वाले समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें। अतः आप सूचित रहें।

THES STATISTIC

महेन्द्र कुमार शर्मा (एडवोकेट)